न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 07/2020

अपीलान्ट

शिवाराम पुत्र हेमाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम सुबदण्ड तहसील लूणी जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम निर्णय दिनांक 11.02.2020 जो तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 11/2019 बअनवान राज्य सरकार बनाम शिवाराम अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम में पारित करते हुए अपीलान्ट को सरकारी भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए उसे बेदखल करने के साथ जुर्माना एवं 90 दिन के सिविल कारावास से दंण्डित करने के पूर्व आदेश दिनांक 16.08.2019 को बहाल रखा गया के विरूद्ध।

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री डी0 आर0 चौधरी उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित।

–: आदेश :– दिनांक :–20.02.2020

अपीलार्थी के अभिभाषक डी0 आर0 चौधरी उपस्थित। अपीलान्ट के अभिभाषक श्री डी0 आर0 चौधरी ने यह यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम निर्णय दिनांक 11.02.2020 जो तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 11/2019 बअनवान राज्य सरकार बनाम शिवाराम अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम में पारित करते हुए अपीलान्ट को सरकारी भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए उसे बेदखल करने के साथ जुर्माना एवं 90 दिन के सिविल कारावास से दंण्डित करने के पूर्व आदेश दिनांक 16.08.2019 को बहाल रखा गया के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि हल्का पटवारी सुबदण्ड एवं भू–अभिलेख निरीक्षक धुन्धाडा ने एक अतिक्रमण रिपोर्ट तहसीलदार लूणी को प्रस्तुत की कि राजस्व ग्राम सुबदण्ड में स्थित खसरा नम्बर 175 रकबा 0.01 बीघा भूमि किस्म गैर मुमकिन रास्ता पर संवत् 2076 से पश्चावर्ती अतिक्रमण है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार लूणी ने प्रकरण दर्ज कर जरिये नोटिस अन्तर्गत धारा 91 भूराजस्व अधिनियम के

तहत अपीलान्ट को तलब किया। तहसीलदार लूणी ने दिनांक 16.08.2019 को अपीलान्ट को पश्चात्कर्मी अतिक्रमी मानकर तीन माह हेतु सिविल कारावास की सजा से एवं जुर्माने से दण्डित किये जाने का आदेश पारित कर दिया। प्रस्तुत प्रकरण में इस न्यायालय के राजस्व अपील संख्या 95/2019 निर्णय दिनांक 21.10.2019 की अनुपालना में तहसीलदार लूणी को निर्देश दिये गये थे यदि अपीलान्ट द्वारा मौके से अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो तहसीलदार लूणी द्वारा अपीलान्ट को सिविल कारावास की जो सजा सुनाई गई, यथावत रहेगी। तहसीलदार ने दिनांक 11.02.2020 को जाहिर किया है कि अपीलान्ट ने अतिक्रमण नहीं हटाया है अतः पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 16.08.2019 को यथावत रखा जाता है।

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री डी0 आर0 चौधरी ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अधिकारी के आदेश दिनांक 11.02.2020 के तहत दी गयी सजा का क्रियान्वन करते हुए अपीलान्ट को गिरफ्तार किया जाकर केन्द्रीय कारागृह जोधपुर भेजा जा चुका है। यदि अपीलान्ट का अतिक्रमण है तो वह हटाने को तैयार है तथा उक्त आदेश की जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी। अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें जाहिर किया है कि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है।

हमने अपीलान्ट अभिभाषक की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा तहसीलदार लूणी से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार लूणी से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 20.02.2020 में तहसीलदार लूणी ने अवगत कराया कि ग्राम सुबदण्ड के खसरा नं0 175 गै0 मु0 रास्ते से अपीलान्ट द्वारा मौके से किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अतः तहसीलदार, लूणी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें आदेश दिया जाता है कि वह स्वयं गै0 मु0 रास्ते की भूमि का 15 दिवस में सीमाज्ञान करे तथा सीमाज्ञान के पश्चात अगर अतिक्रमी द्वारा रास्ते पर अतिक्रमण पाया जाता है और अतिक्रमी स्वयं अपने खर्च से 15 दिवस के भीतर अतिक्रमण हटा लेता है तो अपीलाधीन आदेश सिविल कारावास की सीमा तक निरस्त माना जाएगा। तहसीलदार लूणी द्वारा मौका निरीक्षण करने तक तहसीलदार लूणी द्वारा पारित सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 20.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2020.03.06 11:10:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: